# जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर
## (कुलपति कार्यालय)

क्रमांक : जनावविवि/कुलपति/2018/3989 दिनांक : 31-10-18

– आदेश –

श्री मूल सिंह द्वारा दिनांक 28.09.2018 को कुलपति, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर को संबोधित करते हुए प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें अपील करने का उल्लेख करते हुए प्रार्थना–पत्र में यह निवेदन किया कि मैं छात्रसंघ चुनाव 2018 में अध्यक्ष पद का प्रत्याशी था मेरे नामांकन करने के बाद किसी विद्यार्थी ने मेरे विरूद्ध आपत्ति लगाई थी लेकिन विश्वविद्यालय ने मुझे चुनाव लड़ने की अनुमति दी थी। मैंने चुनाव लड़ा लेकिन मतदान एवं मतगणना में धांधली का आरोप लगवाया तब विश्वविद्यालय के कुछ शिक्षकों ने मिलकर प्रत्याशी के द्वारा चुनाव के बाद आपत्ति लगाई थी वह आपत्ति गलत थी। विश्वविद्यालय की जो ग्रीवेंस कमेटी बनाई गई है वह भी लिंगदोह समिति की रिपोर्ट के पैरा 6. 8.1 के अनुरूप नहीं है। लिंगदोह समिति के पैरा 6.6.2 के अनुसार जो प्रत्याशी जीता है उसे दो हफ्ते के अंदर चुनाव खर्च देना पड़ता है लेकिन जीते हुए प्रत्याशी द्वारा खर्च का ब्यौरा नहीं दिया है। कृपया करके मेरे मामले में न्याय दिया जाए।

प्रार्थी श्री मूल सिंह द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना–पत्र को न्यायहित में अपील मानते हुए छात्रसंघ चुनाव 2018 के चुनावों के संबंध में प्रत्याशी श्री मूल सिंह एवं श्री सुनिल चौधरी द्वारा प्रस्तुत की गई आपत्तियों पर शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (Grievance Redressal Cell) द्वारा दिए गए निर्णय दिनांक 26.09.2018 के विरूद्ध छात्रसंघ संविधान के आर्टिकल – 22 के एनेक्सर – II के क्लॉज 13 के तहत कार्यवाही प्रारंभ की गई तथा छात्रसंघ – 2018 के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं संबंधित अन्य प्राधिकारियों से उक्त अपील के संबंध में टिप्पणी प्राप्त की गई।

श्री मूल सिंह द्वारा कुलपति/मुख्य निर्वाचन अधिकारी को छात्रसंघ चुनाव – 2018 में हुई कथित धांधलियों के संदर्भ में 30 बिन्दुओं पर आपत्ति दिनांक 14.09.2018 को प्रस्तुत की गई। श्री सुनिल चौधरी द्वारा भी कुलपति/मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छात्रसंघ चुनाव – 2018 को श्री मूल सिंह के नामांकन को निरस्त करने के संदर्भ में आपत्ति दिनांक 18.09.2018 को प्रस्तुत की गई। उक्त दोनों ही आपत्तियों को निस्तारण हेतु शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (Grievance Redressal Cell) को प्रेषित किया गया।

शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (Grievance Redressal Cell) द्वारा आपत्तिकर्ताओं एवं छात्रसंघ चुनाव–2018 से संबंधित चुनाव प्राधिकारियों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए श्री मूल सिंह द्वारा प्रस्तुत आपत्ति

को जरिए निर्णय दिनांक 26.09.2018 द्वारा आधारहीन मानते हुए निरस्त किया गया। इसी प्रकार श्री सुनिल चौधरी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति को सही मानते हुए शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (Grievance Redressal Cell) ने निर्णय दिनांक 26.09.2018 द्वारा श्री मूल सिंह द्वारा छात्रसंघ चुनाव – 2018 में अध्यक्ष पद हेतु प्रस्तुत किए गए नामांकन को निरस्त किया गया।

उक्त अपील में शिकायत निवारण प्रकोष्ठ(Grievance Redressal Cell) द्वारा श्री मूल सिंह एवं श्री सुनिल चौधरी की आपत्तियों पर दिए गए निर्णय दिनांक 26.09.2018 के विरूद्ध संयुक्त सुनवाई दिनांक 11.10.2018 को निश्चित की गई जिसमें छात्रसंघ – 2018 के अध्यक्ष पद के समस्त प्रत्याशियों एवं छात्रसंघ चुनाव से संबंधित प्राधिकारियों को अपना–अपना पक्ष रखने हेतु सूचित किया गया। सुनवाई के दौरान छात्रसंघ चुनाव में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी श्री मूल सिंह, श्री सुनिल चौधरी, श्री दमा राम तथा विश्वविद्यालय के छात्रसंघ चुनाव से संबंधित प्राधिकारियों में मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रोफेसर अवधेश शर्मा, अन्य संबंधित प्राधिकारीगण तथा शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (Grievance Redressal Cell) के अध्यक्ष प्रोफेसर कमलेश पुरोहित मय अन्य सदस्यगण उपस्थित रहे।

सर्वप्रथम अपीलार्थी मूल सिंह को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया गया। श्री मूल सिंह द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा

प्रस्तुत की गई 30 बिन्दुओं की शिकायत को शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (Grievance Redressal Cell) द्वारा गलत तरीके से खारिज किया गया है। अतः उनके द्वारा प्रस्तुत 30 बिन्दुओं की आपत्ति पर पुनः निर्णय किया जावे। अध्यक्ष पद हेतु जारी कुल मत–पत्र एवं मतपेटी में पाये गये मत–पत्रों में 33 मतपत्रों का अंतर पाया गया है। उक्त मत–पत्र किसी अन्य पद के प्रत्याशी यथा उपाध्यक्ष, संयुक्त सचिव, सचिव एवं संबंधित कॉलेज के अन्य प्रत्याशियों की मतपेटियों में भी पाये जा सकते है। ऐसे मतपत्रों को भी मंगवाया जाकर उन्हें भी संबंधित अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के पक्ष में सम्मिलित किया जावे एवं पुनर्मतगणना करवाई जावे। छात्रसंघ चुनाव–2018 की मतगणना में अध्यक्ष पद की मतगणना कक्ष में बिना ड्यूटी के प्रोफेसर अयूब खान, प्रोफेसर सुन्दर मूर्ति एवं पी. आर.ओ. श्री रामनिवास चौधरी बार–बार आ जा रहे थे जो गैरकानूनी था। इनके पास मोबाईल फोन भी था जिससे वो बार–बार बात कर काउन्टिंग हॉल के अंदर की सूचना बाहर दे रहे थे। काउन्टिंग हॉल में किसी भी व्यक्ति को मोबाईल फोन अनुमत नहीं था तो इन अधिकारियों के द्वारा अनधिकृत तरीके से मोबाईल का उपयोग किया गया है इनके विरूद्ध कार्यवाही की जावें। मतगणना के दौरान ठेके के कर्मचारी द्वारा भी मतगणना का कार्य किया गया है जबकि विश्वविद्यालय के स्थाई कर्मचारी द्वारा ही मतगणना का कार्य किया जा सकता है।

बहस के दौरान श्री मूल सिंह ने निवेदन किया कि छात्रसंघ चुनाव में अध्यक्ष पद के समस्त खारिज मतों की पुनः जाँच की जावें। जिन मतपत्रों पर अंगूठें के निशान है उन मतपत्रों की एफ.एस.एल. जाँच करवाई जावे। जिन अधिकारियों द्वारा बिना अनुमति के मोबाईल फोन का उपयोग किया है उनकी कॉल डिटेल निकलवाई जावे तथा उनके द्वारा किन–किन से दूरभाष पर वार्ता की गई है इसका पता किया जावे। मुझे पूरा विश्वास है कि इन अधिकारियों ने संबंधित राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों से वार्ता कर चुनाव परिणाम को प्रभावित करने का प्रयास किया है। मतगणना के दौरान कम पाये गये 33 मतों के संदर्भ में पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई जावे। खारिज किये गये मतपत्रों में एकरूपता नहीं रखी गई है। मेरे मतपत्रों को अधिक संख्या में खारिज किया गया है जबकि श्री सुनिल चौधरी के उसी प्रकार के मतपत्रों को खारिज नहीं किया गया है। विश्वविद्यालय चुनाव प्राधिकारियों द्वारा जानबूझकर नियमानुसार मतगणना नहीं की गई है तथा मुझे जानबूझकर पराजित करवाया गया है। अतः अध्यक्ष पद के मतों की पुनर्गणना करवाई जाकर मेरे साथ न्याय किया जावे।

श्री मूल सिंह द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि छात्रसंघ संविधान के आर्टिकल – 22 के एनेक्सर – I के अन्त में यह प्रावधान है कि चुनाव परिणाम की घोषणा के दो सप्ताह के भीतर प्रत्येक प्रत्याशी

को पूर्णरूप से अंकेक्षित चुनावी व्यय का लेखा विश्वविद्यालय प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। छात्रसंघ के अध्यक्ष पद की मतगणना दिनांक 11.09.2018 को प्रारंभ की गई एवं रात्रि 2:00 बजे मतगणना समाप्त कर परिणाम घोषित किया गया। दिनांक 12.09.2018 को चुनाव परिणाम की घोषणा तिथि से 26.09.2018 तक दो सप्ताह की अवधि पूर्ण हो जाती है। प्रत्याशी श्री सुनिल चौधरी द्वारा उक्त अवधि के दौरान अपने चुनाव व्यय का अंकेक्षित लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया है। मुझे विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार श्री सुनिल चौधरी द्वारा दिनांक 01.10.2018 को ई–मेल के द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी को मात्र यह सूचना प्रेषित की गई है कि छात्रसंघ चुनाव – 2018 में उनका खर्च 4,950/– रूपये था। प्रथमतः श्री सुनिल चौधरी द्वारा प्रेषित उक्त व्यय–सूचना पूर्णतया अंकेक्षित नहीं है तथा छात्रसंघ संविधान में निर्धारित समय–सीमा में प्रस्तुत नहीं की गई है। श्री सुनिल चौधरी को अपने चुनावी खर्च का सम्पूर्ण अंकेक्षित व्यय–लेखा दिनांक 26.09.2018 से पूर्व प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था, जो नहीं किया गया है। छात्रसंघ संविधान में वर्णित प्रावधानों के तहत अगर किसी प्रत्याशी द्वारा निर्धारित समयावधि में सम्पूर्ण अंकेक्षित चुनाव व्यय प्रस्तुत करने की पालना नहीं की जाती है तो उस प्रत्याशी का चुनाव Nullified माना

जावेगा। अतः उक्त प्रावधानों के तहत श्री सुनिल चौधरी के चुनाव को Nullified घोषित किया जावे।

श्री मूल सिंह द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि लिंगदोह समिति की रिपोर्ट के बिन्दु संख्या – 6.8.1 में वर्णित प्रावधानों के तहत जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय द्वारा शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (Grievance Redressal Cell) का गठन नहीं किया गया है। इसमें एक प्रशासनिक अधिकारी एवं छात्रा प्रतिनिधि को सम्मिलित नहीं किया गया है जिसके कारण विश्वविद्यालय द्वारा गठित उक्त शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (Grievance Redressal Cell) लिंगदोह समिति के प्रावधानों के अनुसार गठित नहीं होने से प्रभावहीन है तथा उक्त समिति द्वारा किसी भी प्रकरण में दिया गया निर्णय निष्प्रभावी एवं शून्य है।

श्री मूल सिंह द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि छात्रसंघ चुनाव – 2018 में मेरे द्वारा अध्यक्ष पद हेतु नामांकन भरा गया था। मेरे नामांकन के विरूद्ध भी आपत्ति प्रस्तुत की गई थी, जिसको शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (Grievance Redressal Cell) द्वारा अस्वीकार किया जाकर मेरे नामांकन को सही माना जाकर मुझे चुनाव लड़ने हेतु योग्य करार दिया गया था। मेरे द्वारा चुनाव लड़ा गया। चुनाव परिणाम घोषणा के पश्चात् श्री सुनिल चौधरी द्वारा मेरे नामांकन को निरस्त करने के संबंध में प्रस्तुत आपत्ति को शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (Grievance Redressal

Cell) द्वारा जरिए निर्णय दिनांक 26.09.2018 द्वारा सही माना जाकर मेरे नामांकन को खारिज किया गया है, जो विधि अनुसार नहीं है। छात्रसंघ चुनाव – 2018 हेतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छात्रसंघ चुनाव – 2018, जय नारायण विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी के नामांकन पर आपत्ति नाम–निर्देशन–पत्र की संवीक्षा (05.09.2018 at 3.00 pm. – 5.00 p.m.) और चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की वैध–सूची के प्रकाशन (06.09.2018 at 10.00 A.m.) तक ही की जा सकती थी। श्री सुनिल चौधरी द्वारा उक्त आपत्ति दिनांक 18–09–2018 को प्रस्तुत की गई है जबकि नामांकन की वैधता को चुनौती देने के संबंध में आपत्ति केवल दिनांक 05–09–2018 को 3 से 5 बजे तथा दिनांक 06–09–2018 को प्रातः 10 बजे के तत्काल बाद ही प्रस्तुत की जा सकती थी। श्री सुनिल चौधरी द्वारा उक्त आपत्ति चुनाव अधिसूचना में निर्धारित समय–सीमा के पश्चात चुनाव परिणाम घोषित होने के सात दिन उपरांत प्रस्तुत की गई है जिसे किसी भी प्रकार से विधिसम्मत् नहीं कहा जा सकता। शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (Grievance Redressal Cell) द्वारा अधिकार–सीमा से बाहर जाकर श्री सुनिल चौधरी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति को स्वीकार किया गया है जो पूर्णतया विधि विरूद्ध है। शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (Grievance Redressal Cell) द्वारा मेरे विरूद्ध अनफेयरमीन्स केस में निर्णय के आधार पर मेरे नामांकन के संबंध में श्री

मन्थन शर्मा एवं श्री लक्षदीप सिंह द्वारा प्रस्तुत आपत्ति को तत्समय जरिये निर्णय दिनांक 05–09–2018 द्वारा अस्वीकार किया गया था। इसी बिन्दु पर उसी शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (Grievance Redressal Cell) द्वारा बाद में निर्णय दिनांक 26–09–2018 में मेरे नामांकन को खारिज करने का निर्णय देना परस्पर विरोधाभाषी एवं विधि विरूद्ध है। एक ही प्राधिकारी द्वारा एक ही मामले में अलग–अलग समय पर परस्पर विपरीत निर्णय दिया जाना किसी भी प्रकार से न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता। अतः शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (Grievance Redressal Cell) द्वारा मेरे नामांकन को निरस्त करने के निर्णय को अपास्त कर मेरे नामांकन को वैध घोषित किया जावे।

पक्षकार प्रत्याशी श्री सुनिल चौधरी को पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया गया। श्री सुनिल चौधरी द्वारा दौरान–ए–बहस यह तर्क दिया कि विश्वविद्यालय के चुनाव प्राधिकारियों द्वारा छात्रसंघ संविधान में वर्णित प्रावधानों एवं प्रक्रिया को अपनाते हुए चुनाव सम्पन्न करवाये जाकर मुझे छात्रसंघ चुनाव के अध्यक्ष प्रत्याशी के रूप में विजयी होने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा शपथ दिलाई जाकर अध्यक्ष पद हेतु निर्वाचित होने का प्रमाण–पत्र दिया गया। मतगणना में पूर्णतया पारदर्शिता बरती जाकर चुनाव परिणाम घोषित किया गया था। श्री मूल सिंह द्वारा मतगणना के दौरान प्रस्तुत पुनःमतगणना के प्रार्थना पत्र दिनांक 11–09–2018 को

स्वीकार किया जाकर मतों की पुनर्गणना करवाई गई थी तथा पुनःमतगणना के पश्चात मुझे 9 मतों से विजयी घोषित किया गया। श्री मूल सिंह द्वारा चुनाव परिणाम घोषणा के पश्चात् प्रस्तुत की गई आपत्ति में वर्णित 30 बिन्दुओं पर शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (Grievance Redressal Cell) द्वारा पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान कर श्री मूल सिंह की आपत्ति को निरस्त किया गया जो पूर्णतया विधि सम्मत है।

श्री सुनिल चौधरी द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि छात्रसंघ संविधान के आर्टिकल – 22 के एनेक्सर – II के बिन्दु संख्या – 4 में यह प्रावधान है कि कोई भी विद्यार्थी चुनाव परिणाम घोषणा के तीन सप्ताह के अंदर शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (Grievance Redressal Cell) को चुनाव से संबंधित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। मेरे द्वारा भी श्री मूल सिंह के नामांकन को रद्द करने के संबंध में उक्त प्रावधान के तहत समय–सीमा में दिनांक 18–09–2018 को आपत्ति प्रस्तुत की गई थी। श्री मूल सिंह को वर्ष 2013 में नकल करने के आरोप में विश्वविद्यालय द्वारा दण्डित किया गया था। छात्रसंघ संविधान के अनुसार श्री मूल सिंह को वर्ष 2013 में नकल प्रकरण में विश्वविद्यालय द्वारा दोषी करार दिया जाकर उसका परिणाम रद्द कर वर्ष 2014 में परीक्षा में बैठने से Debar किया गया था। अतः छात्रसंघ संविधान प्रावधानों के तहत श्री मूल सिंह छात्र संघ के अध्यक्ष पद चुनाव लड़ने हेतु पात्रता नहीं रखता था।

शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (Grievance Redressal Cell) द्वारा मेरे द्वारा प्रस्तुत आपत्ति को जरिए निर्णय दिनांक 26.09.2018 द्वारा स्वीकार कर श्री मूल सिंह के नामांकन को निरस्त करने का विधिसम्मत् निर्णय दिया गया है। ऐसे ही प्रकरण पर पूर्व में श्री चुन्नीलाल गोदारा के प्रकरण में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी इसी प्रकार का निर्णय दिया गया था। श्री मूल सिंह द्वारा बार–बार आपत्तियाँ एवं अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अनावश्यक रूप से छात्रसंघ चुनाव – 2018 में निर्वाचित प्रत्याशी को कार्य करने में व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है। अतः निवेदन है कि श्री मूल सिंह द्वारा प्रस्तुत समस्त आपतियाँ एवं अपील आधारहीन होने के कारण निरस्त फरमाई जावे।

श्री सुनिल चौधरी द्वारा यह भी पक्ष रखा गया कि श्री मूल सिंह द्वारा प्रस्तुत अपील में लिंगदोह समिति की रिपोर्ट के बिन्दु संख्या – 6.8.1 में वर्णित प्रावधानों के तहत विश्वविद्यालय द्वारा शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (Grievance Redressal Cell) का गठन नहीं किया गया है। उक्त बिन्दु आधारहीन होने से अस्वीकार किए जाने योग्य है क्योंकि विश्वविद्यालय द्वारा शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (Grievance Redressal Cell) का गठन दिनांक 25.08.2018 को किया गया था। यदि किसी भी विद्यार्थी को उक्त शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (Grievance Redressal Cell) के गठन के संबंध में आपत्ति थी तो उक्त आदेश जारी होने के समय ही आपत्ति

प्रस्तुत की जा सकती थी। उक्त शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (Grievance Redressal Cell) द्वारा चुनाव से संबंधित समस्त आपत्तियों की सुनवाई कर निस्तारण किया गया तथा इसी शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (Grievance Redressal Cell) के निर्देशन में छात्रसंघ चुनाव – 2018 सम्पन्न हुए। चुनाव परिणाम घोषणा तथा शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (Grievance Redressal Cell) द्वारा आपत्तियों के संदर्भ में पक्षकारान को बाद सुनवाई दिए गए निर्णय दिनांक 26–09–2018 के पश्चात् शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (Grievance Redressal Cell) के गठन के संबंध में आपत्ति प्रस्तुत नहीं की जा सकती। अतः श्री मूल सिंह द्वारा प्रस्तुत उक्त आपत्ति समयसीमा से परे होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है।

श्री सुनिल चौधरी द्वारा यह तर्क भी दिया गया कि श्री मूल सिंह द्वारा उनके विरूद्ध छात्रसंघ संविधान में वर्णित प्रावधानों के तहत चुनाव परिणाम घोषित होने के दो सप्ताह में पूर्णतया अंकेक्षित चुनाव व्यय प्रस्तुत नहीं करने का आरोप लगाया गया है। श्री सुनिल चौधरी द्वारा कथन किया गया कि दिनांक 28.09.2018 को मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रेषित उक्त आपत्ति/नोटिस मुझे प्राप्त हुआ। मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उक्त आपत्ति/नोटिस छात्रसंघ संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं था। छात्रसंघ संवधान के प्रावधानों के अनुसार किसी भी आपत्ति पर शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (Grievance

Redressal Cell) द्वारा ही संबंधित पक्षकार को नोटिस जारी किया जा सकता है जबकि उक्त नोटिस शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (Grievance Redressal Cell) के बजाय मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो विधिनुसार नहीं है। अतः इस आधार पर उपरोक्त आपत्ति निरस्त किये जाने योग्य है।

श्री मूल सिंह द्वारा दिनांक 14.09.2018 को 30 बिन्दुओं की आपत्ति परिवेदना कुलपति/मुख्य निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत की गई थी जिस पर शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (Grievance Redressal Cell) द्वारा संज्ञान लेकर दिनांक 22.09.2018 को सभी पक्षकारान् की सुनवाई की गई। शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (Grievance Redressal Cell) द्वारा दिनांक 22.09.2018 को सुनवाई के दौरान मुझे यह निर्देश दिये गये थे कि जब तक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (Grievance Redressal Cell) द्वारा उक्त परिवेदना का निस्तारण नहीं किया जाता तब तक आप अध्यक्ष पद पर निर्वाचित प्रत्याशी के रूप में कार्य नहीं करेगे। श्री सुनिल चौधरी द्वारा यह कथन किया गया कि वह दिनांक 24.09.2018 से 28.09.2018 तक अस्वस्थ हो गया था जिसके प्रमाण में विभिन्न चिकित्सकों की परामर्श पर्चियाँ एवं परीक्षण रिपोर्ट भी प्रस्तुत है एवं स्वस्थ होने के तत्काल बाद मेरे द्वारा दिनांक 01.10.2018 को ई–मेल के जरिए चुनाव–व्यय की सूचना प्रेषित कर दी गई थी। इसके अतिरिक्त श्री सुनिल चौधरी द्वारा

यह भी तर्क दिया गया कि शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (Grievance Redressal Cell) द्वारा दिनांक 26.09.2018 को श्री मूल सिंह एवं मेरे द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों पर निर्णय दिया गया था। चूँकि शिकायत निवारण प्रकोष्ठ Grievance Redressal Cell) द्वारा आपत्ति के निर्णय होने तक मुझे अध्यक्ष पद पर कार्य नहीं करने के निर्देश दिये गये थे इसलिए मैंने शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (Grievance Redressal Cell) द्वारा श्री मूल सिंह की परिवेदना के निर्णय दिनांक 26.09.2018 के पश्चात् दिनांक 01.10. 2018 को जरिए ई–मेल चुनावी व्यय की सूचना एवं दिनांक 05.10.2018 को अंकेक्षित चुनावी व्यय लेखा प्रस्तुत कर दिया है जो लिंगदोह समिति के आवश्यक दिशा–निर्देशों का उल्लंघन नहीं करता है। ऐसी स्थिति में चुनाव व्यय के सम्बन्ध में श्री मूल सिंह द्वारा प्रस्तुत आपत्ति अस्वीकार किए जाने योग्य है। अतः निवेदन है कि उक्त आपत्ति को निरस्त फरमाया जावे।

छात्रसंघ चुनाव – 2018 के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रोफेसर अवधेश शर्मा को पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया गया। प्रोफेसर शर्मा ने दौरान–ए–बहस यह कथन किया कि उनके द्वारा छात्रसंघ चुनाव – 2018 की अधिसूचना जारी करने से लेकर छात्रसंघ चुनाव परिणाम घोषित करने तक की कार्यवाही सम्पादित करने हेतु छात्रसंघ चुनाव–2018 के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जारी कलेण्डर

एवं छात्रसंघ संविधान में वर्णित प्रक्रिया एवं प्रावधानों के तहत पूर्णतया निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव सम्पन्न करवाने की कार्यवाही की गई है। मतगणना के दिवस श्री मूल सिंह द्वारा मतों की पुनर्गणना के प्रार्थना–पत्र को स्वीकार किया जाकर पुनः मतगणना करवाई गई तथा नियमानुसार चुनाव परिणाम की घोषणा की गई। श्री मूल सिंह द्वारा प्रस्तुत 30 बिन्दुओं की परिवेदना प्राप्त होने पर शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (Grievance Redressal Cell) द्वारा समस्त पक्षकारान को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर सुनवाई की जाकर श्री मूल सिंह एवं श्री सुनिल चौधरी की परिवेदनाओं पर निर्णय दिनांक 26–09–2018 को दिया गया। शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (Grievance Redressal Cell) द्वारा दिया गया निर्णय छात्रसंघ संविधान में वर्णित न्यायिक प्रक्रियानुसार उभयपक्षकारों की सुनवाई एवं संबंधित अभिलेख पर टिप्पणी लेकर दिया गया है।

शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (Grievance Redressal Cell) के अध्यक्ष प्रोफेसर कमलेश पुरोहित ने बहस के दौरान बताया कि श्री मूल सिंह द्वारा प्रस्तुत परिवेदना में वर्णित समस्त 30 बिन्दुओं पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी/प्रमुख निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत बिन्दुवार टिप्पणी एवं मतगणना के दौरान उपलब्ध विडियोग्राफी रिकॉर्डिंग का अवलोकन करने के पश्चात् शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (Grievance Redressal Cell) के समस्त सदस्यों द्वारा प्रत्येक बिन्दु पर गहन विचार

विमर्श पश्चात सर्वसम्मति से निर्णय दिया गया है जो विधि अनुसार है। श्री सुनिल चौधरी की आपत्ति पर भी निर्णय उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि दिनांक 05–09–2018 को नामांकन की संवीक्षा के समय श्री मन्थन शर्मा एवं श्री लक्षदीप सिंह द्वारा श्री मूल सिंह के नामांकन खारिज करने के संबंध में आपत्ति प्रस्तुत की गई थी। उक्त आपत्ति को शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (Grievance Redressal Cell) द्वारा सुना गया था तथा बाद जाँच उक्त आपत्ति को अस्वीकार कर श्री मूल सिंह के नामांकन को वैध करार दिया गया था। चुनाव परिणाम घोषणा के पश्चात् श्री सुनिल चौधरी द्वारा श्री मूल सिंह के नामांकन को निरस्त करने के संबंध में प्रस्तुत परिवेदना के साथ नकल प्रकरण से सम्बन्धित स्पष्ट दस्तावेज तथा इसी प्रकार के प्रकरण में राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित निर्णय की प्रति प्रस्तुत करने पर शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (Grievance Redressal Cell) द्वारा प्रकरण के तथ्यों का परीक्षण करने के पश्चात् श्री मूल सिंह को 2013 में नकल प्रकरण में विश्वविद्यालय द्वारा दौषी करार दिये जाने के कारण उसका नामांकन छात्रसंघ संविधान में वर्णित प्रावधानों अनुसार नहीं होने के कारण निरस्त किया गया। सुनवाई के दौरान शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (Grievance Redressal Cell) के अध्यक्ष प्रोफेसर कमलेश पुरोहित ने बताया कि श्री सुनिल चौधरी को चुनाव से सम्बन्धित आपत्तियों के निर्णय

होने तक अध्यक्ष पद पर कार्य नहीं करने के सम्बन्ध में कोई मौखिक/लिखित निर्देश नहीं दिये गये थे।

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा छात्रसंघ चुनाव – 2018 की मतगणना के दौरान की गई विडियोग्राफी रिकॉर्डिंग एवं अन्य सम्बन्धित दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। श्री मूल सिंह, श्री सुनिल चौधरी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रोफेसर अवधेश शर्मा एवं शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (Grievance Redressal Cell) के अध्यक्ष प्रोफेसर कमलेश पुरोहित द्वारा बहस के दौरान दी गई दलीलों पर मनन किया गया। श्री मूल सिंह एवं श्री सुनिल चौधरी द्वारा की गई परिवेदनाओं पर शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (Grievance Redressal Cell) द्वारा दिए गए निर्णय दिनांक 26.09.2018 तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा दी गई टिप्पणियों एवं छात्र संघ संविधान के प्रावधानों पर गहनता से विचार किया गया।

मतगणना के दौरान की गई विडियोग्राफी रिकॉर्डिंग का अवलोकन करने पर यह जाहिर होता है कि अध्यक्ष पद के मतगणना कक्ष में प्रोफेसर अयूब खान, विश्वविद्यालय के जन संपर्क अधिकारी श्री रामनिवास ग्वाला का आना–जाना हो रहा था। दोनों अधिकारियों द्वारा मोबाईल फोन का उपयोग भी किया जा रहा था जबकि मतगणना कक्ष में मोबाईल फोन का उपयोग वर्जित था। प्रोफेसर सुन्दर मूर्ति द्वारा भी मतगणना के दौरान बार–बार मोबाईल फोन का प्रयोग किया जा रहा

था। यहाँ यह स्पष्ट करना भी उचित होगा कि इनमें से प्रो. सुन्दरमूर्ति एवं प्रो. अयूब खान की छात्रसंघ के अपेक्ष पद के अन्य पदाधिकारी के चुनाव की मतगणना में ड्यूटी थी। अपेक्ष पद के समस्त पदाधिकारियों की मतगणना स्थल एक ही स्थान पर था तथा मतगणना कक्ष पृथक पृथक थे। जन सम्पर्क अधिकारी की ड्यूटी भी मतगणना स्थल पर मतगणना की राउण्डवाईज सूचना संकलित कर मतगणना स्थल पर स्थापित मिडिया सेन्टर को प्रदान करने की थी। विडियोफुटेज में उक्त अधिकारियों के आगमन एवं मोबाईल फोन के प्रयोग से कहीं पर भी मतगणना कार्य प्रभावित होना नहीं पाया गया। ठेकाकर्मी द्वारा भी मात्र उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार सहयोग करना ही पाया गया। ठेकाकर्मी के विरुद्ध भी मतगणना कार्य में किसी प्रकार का अवान्छनीय हस्तक्षेप अथवा मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ आदि का कोई साक्ष्य किसी भी रूप में नहीं पाया गया।

श्री मूल सिंह द्वारा प्रमुख रूप से यह कथन किया गया कि अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों की मतगणना कक्ष में बिना अनुमति मोबाईल फोन का उपयोग करने वाले अधिकारियों की कॉल डिटेल निकलवाई जावे। श्री मूल सिंह के कथनानुसार मतगणना केन्द्र में प्रयोग किए गए मोबाईल फोन की कॉल डिटेल अगर निकलवाई भी जाए तो भी चुनाव

परिणाम में कोई बदलाव आने की संभावना नहीं है। इस प्रकार श्री मूल सिंह द्वारा की गई इस आपत्ति में कोई बल नहीं है।

श्री मूल सिंह द्वारा दौरान–ए–बहस माँग गई कि मतपत्रों पर पाए गए अंगुष्ठ निशानात् की एफ.एस.एल. जाँच करवाई जावे। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि मतदान प्रक्रिया में मतदान केन्द्र पर पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदाता को जारी किए गए मतपत्र पर मतदाता द्वारा अपने इच्छित उम्मीदवार के पक्ष में मतपत्र में निर्धारित स्थान पर स्वास्तिक मोहर लगाकर मतपत्र को मतदाता द्वारा ही मतपेटी में डाला जाता है। पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदाता को मतपत्र जारी करने के पश्चात मतदान की कार्यवाही के दौरान मतदाता के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता है। मतपत्र पर हस्ताक्षर/अन्य कोई निशान/अंगुष्ठ चिह्न/ कोई टिप्पणी/स्वास्तिक चिह्न आदि का अंकन एकमात्र मतदाता द्वारा ही किया जा सकता है क्योंकि मतदाता द्वारा मतपत्र का उपयोग करने के पश्चात् मतपत्र को मतपेटी में डाला जाता है जो पहले से ही सील्ड होती है। सील्ड मतपेटी को केवल मतगणना केन्द्र पर सभी अभ्यर्थियों की उपस्थिति में सील्ड दिखाया जाकर उनके समक्ष खोला जाता है एवं उक्त मतपेटी में पाये गये मतों की गणना की जाती है। उक्त प्रक्रिया के दौरान किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मतपत्र के साथ छेड़छाड़ करने का कोई भी अवसर उपलब्ध नहीं है।

छात्रसंघ अध्यक्ष के चुनाव – 2018 की कार्यवाही में भी उक्त प्रक्रिया का पूर्णरूप से पालन किया गया है। विडियोग्राफी फुटेज देखने से यह पूर्णरूप से स्पष्ट है कि किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा मतपत्रों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। अतः मतपत्रों पर पाये गये अंगुष्ठ या अन्य निशान की अपीलार्थी द्वारा की गई एफ.एस.एल. जाँच की माँग स्वीकार योग्य नहीं है।

श्री मूल सिंह द्वारा यह भी कथन किया गया कि अध्यक्ष पद की मतगणना में 33 मतपत्र कम पाये गये हैं जिसकी एफ.आई.आर. दर्ज करवाई जावे। शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (Grievance Redressal Cell) द्वारा दिए गए निर्णय के बिन्दु संख्या – 4 के अनुसार अध्यक्ष पद हेतु विभिन्न संकाय/सस्थान में स्थापित मतदान केन्द्रों द्वारा कुल 9944 मतपत्र जारी किये गये एवं मतगनण कक्ष में मतगणना के दौरान मतपेटियों में कुल 9911 मत प्राप्त हुए। जारी मतपत्र एवं मतपेटी में प्राप्त मतों का अंतर 33 मतपत्र होना अंकित किया है। निर्णय में यह भी अंकित किया है कि उक्त मतपत्र किसी के द्वारा चोरी नहीं किए है। संभव है कि उक्त मत अध्यक्ष पद की मतपेटी के अतिरिक्त अन्य पदाधिकारियों की मतपेटी में मतदाता द्वारा डाल दिए गए हों। उक्त बिन्दु पर शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (Grievance Redressal Cell) द्वारा किया गया विवेचन उचित है। क्योंकि प्रत्येक मतदान केन्द्र पर जारी मतपत्र का पृथक से मतपत्र लेखा तैयार

किया जाता है तथा मतगणना के दौरान मतपेटी में पाए गए मत एवं कम पाये गये मत की मतदान केन्द्रवार विवरण तैयार किया जाता है। प्रत्येक मतदान केन्द्र पर जारी मतपत्र तथा मतपेटी में पाए गए मतपत्रों के साथ कोई अंतर है तो उसका भी विवरण में अंकन किया जाता है। अतः मतगणना में जो 33 मतों का अंतर पाया गया है वे मतपत्र मतपेटी में ही कम पाये गये हैं। मतगणना के दौरान कम पाये गये मतपत्रों को किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा चोरी किया जाना नहीं पाया गया। अतः उक्त आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है तथा उनकी एफ.आई.आर. दर्ज करवाने की मांग न्यायोचित नहीं है।

शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (Grievance Redressal Cell) द्वारा श्री मूल सिंह द्वारा प्रस्तुत 30 बिन्दुओं की परिवेदना के संबंध में जो बिन्दुवार विवेचन कर निर्णय दिया गया है वह उचित है एवं इसमें किसी प्रकार भी का हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। अतः शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (Grievance Redressal Cell) द्वारा श्री मूल सिंह की आपत्ति पर पारित निर्णय दिनांक 26–09–2018 को यथावत रखा जाता है।

श्री मूल सिंह द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 28–09–2018 में पूर्व में प्रस्तुत 30 बिन्दुओं की परिवेदना दिनांक 14–09–2018 में वर्णित बिन्दुओं के अतिरिक्त दो निम्नलिखित अन्य नये बिन्दुओं का उल्लेख किया है :

1. शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (Grievance Redressal Cell) का गठन लिंगदोह समिति की रिपोर्ट में वर्णित बिन्दु संख्या 6.8.1 के तहत नहीं किया गया है।
2. लिंगदोह समिति की रिपोर्ट के पैरा 6.6.2 में वर्णित प्रावधान के अनुसार विजयी प्रत्याशी को दो सप्ताह के अन्दर चुनाव खर्च का विवरण देना आवश्यक है जबकि विजयी प्रत्याशी द्वारा चुनाव खर्चे का ब्यौरा निर्धारित समयसीमा में नहीं दिया गया है।

छात्र संघ संविधान में वर्णित प्रावधानों के अनुसार कुलपति अपीलीय अधिकारी है जिसके समक्ष शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (Grievance Redressal Cell) द्वारा निर्णित प्रकरणों के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की जाने का प्रावधान है। श्री मूलसिंह द्वारा दिनांक 28–09–2018 को प्रस्तुत अपील प्रतिवेदन से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील प्रतिवेदन किस निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। फिर भी न्यायहित में उक्त प्रार्थना पत्र को श्री मूलसिंह एवं श्री सुनिल चौधरी द्वारा प्रस्तुत परिवेदनाओं पर शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (Grievance Redressal Cell) द्वारा दिए गए निर्णय दिनांक 26–09–2018 के विरूद्ध संयुक्त अपील मानते हुए विचारार्थ स्वीकर किया गया।

उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 25.08.2018 को शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (Grievance Redressal Cell) का गठन छात्रसंघ संविधान के आर्टिकल – 22 के एनेक्सर – II के बिन्दु संख्या – 1 के तहत लिंगदोह समिति की संस्तुति की भावना के तहत ही किया गया है। अन्यथा भी किसी को शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (Grievance Redressal Cell) के गठन के संबंध में कोई आपत्ति थी तो उसे गठन आदेश जारी करने के समय पर ही प्रस्तुत करना चाहिए था। नामांकन, मतदान, मतगणना प्रक्रिया इत्यादि के पूर्ण होने के पश्चात शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (Grievance Redressal Cell) जिसका गठन छात्र संघ चुनाव घोषणा की शुरूआत में ही किया गया था, के गठन पर चुनाव प्रक्रिया संपूर्ण होने के पश्चात् की गई आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है।

उपरोक्त बिन्दु संख्या 2 के सम्बन्ध में छात्रसंघ संविधान के आर्टिकल – 22 के एनेक्सर – I के अन्त में यह प्रावधान है कि चुनाव परिणाम की घोषणा के दो सप्ताह के अन्दर अंकेक्षित चुनाव व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करना आवश्यक है। ऐसा नहीं करने पर चुनाव को रद्द घोषित किया जा सकता है। श्री मूल सिंह द्वारा दिनांक 14–09–2018 को प्रस्तुत की गई 30 बिन्दुओं की

परिवेदना पर शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (Grievance Redressal Cell) द्वारा दिए गए निर्णय दिनांक 26–09–2018 का अवलोकन किया गया जिसमें विजयी प्रत्यासी श्री सुनील चौधरी द्वारा चुनाव परिणाम घोषणा के दो सप्ताह में चुनाव व्यय का अंकेक्षित ब्यौरा प्रस्तुत करने का बिन्दु सम्मिलित नहीं था। जो विषय मूल परिवेदना एवं अपीलाधीन आदेश की विषयवस्तु नहीं था उसे अपील के स्तर पर अतिरिक्त विषयवस्तु के रूप में सम्मिलित किया जाकर अपील प्रस्तुत करना न्यायोचित नहीं माना जा सकता है। अतः मूल परिवेदना में वर्णित बिन्दु/विषयवस्तु के अतिरिक्त अपील में सम्मिलित किये गये नये बिन्दु/विषयवस्तु पर विचार किया जाना न्यायोचित नहीं है तथापि निर्वाचित अभ्यर्थी श्री सुनिल चौधरी द्वारा दिनांक 01–10–2018 को चुनाव व्यय की सूचना जरिये ई–मेल एवं अंकेक्षित चुनाव व्यय का पूर्ण लेखा दिनांक 08–10–2018 को मुख्य निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत किया जा चुका है। इस प्रकार अपीलार्थी श्री मूल सिंह के द्वारा श्री सुनिल चौधरी द्वारा चुनाव खर्च का ब्यौरा नहीं दिए जाने का बिन्दु मूल परिवेदना में सम्मिलित नहीं होने के कारण इस सम्बन्ध में अपील स्तर पर की गई आपत्ति अस्वीकार की जाती है।

श्री सुनिल चौधरी द्वारा प्रस्तुत श्री मूल सिंह के नामांकन को निरस्त करने के संबंध में की गई परिवेदना पर शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (Grievance Redressal Cell) द्वारा दिए गए निर्णय दिनांक 26–09–2018 का अवलोकन किया गया। निर्णयानुसार श्री मूल सिंह को वर्ष 2013 में बी.ए. पार्ट ।। की परीक्षा में नकल करने पर दोषी करार दिया जाकर वर्ष 2013 का परीक्षा परिणाम रद्द किया गया तथा वर्ष 2014 में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में बैठने से वंचित किया गया। शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (Grievance Redressal Cell) द्वारा छात्रसंघ संविधान के आर्टिकल–11 के Explaination – F में दिये गये प्रवाधान एवं एस. बी. सिविल रिट पीटिशन संख्या 5908/2014 में दिए गए निर्णय के आलोक में श्री मूल सिंह के नामांकन को निरस्त किया गया है। छात्रसंघ चुनाव – 2018 के लिए जारी अधिसूचना क्रमांक JNVU/SU/Election/2018/07 दिनांक 29–08–2018 का अवलोकन किया गया जिसमें छात्रसंघ चुनाव – 2018 के संदर्भ में तिथियों का निर्धारण किया गया है। उक्त अधिसूचना के अनुसार नाम निर्देशन–पत्रों की जाँच हेतु दिनांक 05–09–2018 (अपरान्ह 3 से 5 बजे) निर्धारित किया गया था तथा योग्य अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन दिनांक 06–09–2018 को प्रातः 10.00 बजे करना निश्चित किया गया था। किसी भी उम्मीदवार के नामांकन के संबंध में किसी भी प्रकार की आपत्ति उक्त समयावधि में प्रस्तुत की जा

सकती थी। श्री मन्थन शर्मा एवं श्री लक्षदीप द्वारा श्री मूल सिंह के नामांकन के संबंध में नकल प्रकरण में दोषी करार दिए जाने के बिन्दु पर आपत्ति दिनांक 05–09–2018 को प्रस्तुत की गई थी, जिसे शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (Grievance Redressal Cell) द्वारा दिये गये निर्णय दिनांक 05–09–2018 के अनुसार आपत्ति को अस्वीकार किया जाकर श्री मूल सिंह के नामांकन को वैध माना गया था। श्री मूल सिंह के नामांकन को वैध माने जाने पर उनके द्वारा चुनाव लड़ा गया तथा चुनाव परिणाम की घोषणा की गई। श्री सुनिल चौधरी द्वारा छात्रसंघ संविधान के आर्टिकल – 22 के एनेक्सर – II के बिन्दु संख्या – 4 के तहत श्री मूल सिंह के नामांकन को निरस्त करने हेतु आपत्ति दिनांक 18–09–2018 को प्रस्तुत की गई है। छात्रसंघ संविधान के आर्टिकल – 22 के एनेक्सर – II के बिन्दु संख्या 4 में चुनाव परिणाम की घोषणा के तीन सप्ताह के भीतर परिवेदना प्रस्तुत करने का प्रावधान है। इसका मन्तव्य यह है कि ऐसी परिवेदना नामांकन से संबंधित न होकर अन्य विषयों से सम्बन्धित हो सकती है। किसी भी अभ्यर्थी के नामांकन के सम्बन्ध में आपत्ति नामांकन–पत्रों की संवीक्षा तथा योग्य उम्मीदवारों की सूची के प्रकाशन के समय निर्धारित समय–सीमा में ही दी जा सकती थी। शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (Grievance Redressal Cell) द्वारा अपने निर्णय में समान

प्रकृति के ही प्रकरण में याचिका संख्या 5908/2014 में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय का उल्लेख भी किया है।

मेरी विनम्र राय में उक्त दोनों प्रकरणों की प्रकृति तो समान है परन्तु परिस्थितियां भिन्न है। उक्त रिट याचिकार्थी श्री चुन्नीलाल गोदारा का नामांकन रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नकल प्रकरण में दण्डित होने के कारण निरस्त किया गया था जिसे शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (Grievance Redressal Cell) द्वारा यथावत रखा गया था। याचिकाकर्ता द्वारा पी.आर. ओ. एवं शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (Grievance Redressal Cell) द्वारा उसके नामांकन निरस्त करने के निर्णय के विरूद्ध रिट याचिका प्रस्तुत की गई थी। याचिकाकर्ता द्वारा उक्त याचिका छात्रसंघ चुनाव 2014 हेतु उनका नामांकन निरस्त करते ही मतदान दिवस से पूर्व उनके नामांकन को बहाल करने हेतु प्रस्तुत कर दी गई थी। उक्त याचिका को माननीय न्यायालय द्वारा खारिज किया गया था एवं श्री चुन्नीलाल गोदारा चुनाव नहीं लड़ पाये थे। परन्तु श्री मूल सिंह के प्रकरण में परिस्थितियां भिन्न है क्योंकि श्री मूल सिंह के नामांकन की वैद्यता के विरूद्ध दिनांक 05–09–2018 को श्री मन्थन शर्मा एवं श्री लक्षदीप सिंह द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई थी जिसे शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (Grievance Redressal Cell) द्वारा जाँच पश्चात तत्समय जरिये निर्णय दिनांक 05–09–2018 द्वारा श्री मूलसिंह के नामांकन को वैध माना गया था तथा फलस्वरुप श्री

मूलसिंह ने चुनाव लड़ा। छात्र संघ चुनाव–2018 के परिणाम की घोषणा दिनांक 12–09–2018 के पश्चात् श्री सुनिल चौधरी द्वारा प्रस्तुत श्री मूलसिंह के नामांकन को निरस्त करने के संबंध में आपत्ति छात्र संघ चुनाव–2018 के लिए जारी अधिसूचना दिनांक 29–08–2018 में निर्धारित समय–सीमा के बाहर होने के बावजूद भी शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (Grievance Redressal Cell) द्वारा श्री मूल सिंह के नामांकन को चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात निरस्त किया गया है जिसका इस स्तर पर कोई औचित्य नहीं है। श्री मूलसिंह अध्यक्ष पद के हारे हुए प्रत्याशी होने के कारण उक्त आपत्ति अपने आप ही अर्थहीन हो जाती है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय हैं कि छात्रसंघ संविधान के आर्टिकल 11 के बिन्दु संख्या VIII में वर्णित प्रावधानों के अनुसार अपेक्स पद हेतु कोई प्रत्याशी केवल एक बार ही चुनाव लड़ सकता है। श्री मूलसिंह द्वारा छात्रसंघ चुनाव 2018 में अध्यक्ष पद हेतु एक बार चुनाव लड़ चुके हैं। छात्रसंघ संविधान के उक्त प्रवाधाननुसार श्री मूलसिंह के लिए छात्रसंघ चुनाव लड़ने हेतु भविष्य में कोई अवसर उपलब्ध नहीं होगा। उक्त परिपेक्ष्य में अब हारे हुए प्रत्याशी का नामांकन इस स्तर पर निरस्त करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः श्री सुनिल चौधरी की श्री मूल सिंह के नामांकन को निरस्त करने के संबंध में प्रस्तुत आपत्ति पर शिकायत निवारण

प्रकोष्ठ (Grievance Redressal Cell) द्वारा दिए गए निर्णय दिनांक 29.09. 2018 को अपास्त किया जाता है।

निष्कर्षतः छात्रसंघ चुनाव 2018 छात्रसंघ संविधान में वर्णित प्रावधानों एवं राज्य सरकार द्वारा जारी छात्रसंघ चुनाव कार्यक्रम का पालन करते हुए पूर्णतया पारदर्शीतापूर्वक सम्पन्न किया जाना पाया गया है। अतः श्री मूलसिंह द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 28–09–2018 में श्री मूलसिंह द्वारा दिनांक 14–09–2018 को प्रस्तुत 30 बिन्दुओं की परिवेदना पर शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (Grievance Redressal Cell) द्वारा दिये गये निर्णय दिनांक 26–09–2018 को यथावत् रखा जाता है। श्री सुनिल चौधरी द्वारा दिनांक 18–09–2018 को श्री मूलसिंह के नामांकन को निरस्त करने के सम्बन्ध में प्रस्तुत आपत्ति पर शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (Grievance Redressal Cell) द्वारा दिये गये निर्णय दिनांक 26–09–2018 को अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31 अक्टूबर, 2018 को लिखाया जाकर संबंधित पक्षकारान् को प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया।

( प्रो. गुलाब सिंह चौहान )
कुलपति एवं अपीलीय अधिकारी
छात्रसंघ चुनाव – 2018
जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर